

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प 2(20)त.शि./2012

जयपुर, दिनांक : 24 मार्च, 2012

रजिस्ट्रार,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
अकैलगढ़ रावतमाटा रोड़,
कोटा।

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2011-12 में वर्षवार शुल्क लेने वाले गैर अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के पत्र क्रमांक : एफ 18(5)त.शि./2004 दिनांक 5.8.2011 के द्वारा गैर अनुदानित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों से निर्धारित अन्तरिम शुल्क संरचना के अनुसार सेमसेस्टरवार शुल्क लिया जाना था। लेकिन कुछ संस्थानों द्वारा जबरन विद्यार्थियों से पूर्ण वार्षिक शुल्क एकसाथ वसूला गया है। अतः ऐसे समस्त संस्थानों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. प्रति संस्थान राशि रुपये 10.00 लाख का वित्तीय दण्ड भरने हेतु निर्देशित किया जावे।
2. संस्थानों को इस प्रकार की अयहेलना के लिए भविष्य में सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने का भी नोटिस दिया जावे।

कृपया इसकी पालना किया जाना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावे तथा आपके द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को सूचित करे।

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त.शि.

26.3.12